प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 502/2017

सुरक्षित किया गया : 03.04.2025

पारित किया गया : 22.04.2025

---

1. श्रीमती. झरियारिन पति स्वर्गीय जीवरखान निषाद, लगभग 35 वर्ष निवासी गाँव भातपारा बंजारी, भाटागाँव डाक, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

2. कुमारी नीलम निषाद पिता स्वर्गीय जीवरखान, प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती झरियारिन पति स्वर्गीय जीवरखान निषाद के द्वारा, लगभग 13 वर्ष, निवासी गांव भथपारा बंजारी, पोस्ट भथगाँव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

3. कुमारी उमा निषाद पिता स्वर्गीय जीवरखान, प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती श्रीमती झरियारिन पति स्वर्गीय जीवरखान निषाद के द्वारा, लगभग 14 वर्ष, निवासी गांव भथपारा बंजारी, पोस्ट भथगाँव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

4. टिकेश कुमार निषाद पिता स्वर्गीय जीवरखान, प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती श्रीमती झरियारिन पति स्वर्गीय जीवरखान निषाद के द्वारा, लगभग 12 वर्ष, निवासी गांव भथपारा बंजारी, पोस्ट भथगाँव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

5. बरसन निषाद पिता स्वर्गीय भागीरथी, आयु पिता 70 वर्ष,निवासी गाँव भातपारा बंजारी, पोस्ट भातगाँव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। दावाकर्ता

---अपीलकर्ता

बनाम

1. रमेश साहू पिता बिसनाथ साहू,25 वर्ष निवासी गाँव बागौद भातपारा, पोस्ट बागौद, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। टाटा मैजिक निवासी चालक का पंजीकरण संख्या छ.ग. 04 एच. एम. 4588

2. श्रीमती. सोहद्रा बाई साहू, पति भोकलूराम, लगभग 50 वर्ष , निवासी ग्राम सुंदर नगर घाट, पोस्ट नवापारा, पुलिस थाना, तहसील गोबरा नवापारा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। टाटा मैजिक बेयरिंग के स्वामी पंजीकरण संख्या छ.ग.04 एच. एम. 4588

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. शाखा प्रबंधक, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शिवमोहन भवन, विधान सभा रोड, पंडरी, रायपुर, पोस्ट पंडरी, तहसील तथा जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। टाटा मैजिक बेयरिंग का बीमाकर्ता पंजीकरण संख्या सी.जी.04 एच.एम. 4588

----उत्तरवादीगण

अपीलकर्ताओं हेतु :श्री अनिल गुलाटी, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 3 हेतु :श्री राज अवस्थी, अधिवक्ता

माननीय श्री संजय कुमार जयसवाल , न्यायाधीश
सी. ए. वी.निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. यह अपील, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत, अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धमतरी (छ.ग.) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 52/2015 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2016 से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षेप में अपीलकर्ता/दावेदारों का दावा यह है कि 29/04/2015 को 40 वर्षीय जीवराखन निषाद टाटा मैजिक रजिस्ट्रेशन नंबर सीजी 04 एचएम 4588 (जिसे आगे "आक्षेपितधी वाहन" कहा जाएगा) में ग्राम कुरुद से ग्राम भाटापारा बंजारी की ओर जा रहे थे, जिसे उत्तरवादी सं 1 रमेश साहू चला रहे थे।रात करीब 8:20 बजे रमेश साहू ने उक्त वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाया, जिससे अज्ञात ट्रक के पिछले हिस्से से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। जीवराखन व चालक रमेश साहू भी उसमें फंस गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को वाहन से बाहर निकाला गया और 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरूद पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जीवराखन को रायपुर रेफर कर दिया गया।परंतु रायपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई।मनोहर लाल देवांगन की सूचना पर मर्ग कायम किया गया। थाना कुरूद में अपराध क्रमांक 224/2014 दर्ज कर आक्षेपित वाहन को कागजात सहित जब्त किया गया। दावा किया गया कि दुर्घटना में 40 वर्षीय जीवराखन की मृत्यु होने से अपीलार्थीगण जो मृतक की पत्नी, बच्चे और पिता हैं, बेसहारा हो गए हैं। जीवराखन खेती-किसानी और मजदूरी कर प्रतिदिन 200 रुपए कमाता था, जिससे अपीलार्थी वंचित हो गए हैं। अतः,उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर विभिन्न मदों में 10,30,000 रुपए क्षतिपूर्ति दिलाने का दावा किया।

3. उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2, जो क्रमशः दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक और पंजीकृत स्वामी बताए गए हैं, ने दावा आवेदन में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया और कहा कि दुर्घटना के समय दुर्घटना करने वाले वाहन का चालक उत्तरवादी क्रमांक 1 रमेश नहीं बल्कि राजेश कुमार पुत्र खेदू लाल था। उक्त दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था, लेकिन ट्रक का पता नहीं चल सका। अतः पुलिस ने प्रकरण क्रमांक 29/2014 को बंद कर दिया। उत्तरवादी क्रमांक 1 रमेश साहू स्वयं पीड़ित पक्ष है।पुलिस द्वारा की गई जब्ती के अनुसार, चालक राजेश कुमार का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। दुर्घटना अज्ञात ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हुई, जिसके विरुद्ध कोई दावा दायर नहीं किया गया है।आक्षेपित वाहन का चालक राजेश था, जो वैध लाइसेंस धारक था तथा आक्षेपित वाहन का बीमा उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा कराया गया था। इसलिए उत्तरवादी संख्या 3 बीमा कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध दायर दावा आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए।

4. उत्तरवादी संख्या 3 बीमा कंपनी ने दावा आवेदन में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा बताया कि कथित आक्षेपित वाहन के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई।इसके चालक की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी।बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी आक्षेपित वाहन के मालिक ने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। आक्षेपित वाहन वैध रजिस्ट्रेशन, परमिट तथा फिटनेस के अभाव में चलाया जा रहा था।अतः बीमा कम्पनी किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। अतः बीमा कम्पनी के विरुद्ध दावा आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रकरण में दावेदार पक्ष की ओर से श्रीमती झरियारिन (एडब्लू-1) पत्नी मृतक जीवराखन तथा मौके पर उपस्थित/प्रत्यक्षदर्शी चैतूराम निषाद (एडब्लू-2) का परीक्षण किया गया। चालक एवं मालिक पक्ष की ओर से रमेश साहू (आर-1) का परीक्षण किया गया, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 3 बीमा कम्पनी की ओर से किसी साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया।

6. विद्वान न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, उनके तर्क और साक्ष्यों के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दावेदार पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि उक्त दुर्घटना, आक्षेपित वाहन के चालक रमेश साहू की तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी। न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि बीमा कंपनी किसी भी साक्ष्य के अभाव में यह साबित करने में विफल रही है कि आक्षेपित वाहन चलाने में बीमा की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया था। उपरोक्त आधार पर, न्यायाधिकरण ने दिनांक 24.12.2016 के आदेश के तहत मृतक जीवराखन की मृत्यु के संबंध में क्षतिपूर्ति की गणना किए बिना दावा आवेदन को खारिज कर दिया। इसलिए, इस अपील में आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने घटनास्थल/चक्षुदर्शी साक्षी चतुराम (एडब्ल्यू-2) के बयान पर भरोसा किए बिना, प्रथम सूचना रिपोर्ट और पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर यह स्वीकार कर लिया है कि

दुर्घटना चालक रमेश साहू की लापरवाही और उतावलेपन के कारण नहीं हुई, जो मान्य योग्य नहीं है क्योंकि यह विधि के विरुद्ध है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना अज्ञात ट्रक और आक्षेपित वाहन के बीच हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप जीवराखन को गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। यह भी साबित हो गया है कि उस समय आक्षेपित वाहन को उत्तरवादी सं 1 रमेश साहू चला रहा था। दुर्घटना रमेश साहू द्वारा उतावलेपन और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई।मामला सहभागी लापरवाही का नहीं बल्कि समग्र लापरवाही का है। मृतक जीवराखन खुद भी आक्षेपित वाहन में सवार था। लापरवाही में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है। चूंकि अज्ञात ट्रक का पता नहीं लगाया जा सका, इसलिए उसके चालक, मालिक और बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया जा सका। चूंकि मामला समग्र लापरवाही का है, इसलिए दावेदार के पास दोनों विकल्प थे कि वह केवल एक वाहन के विरुद्ध दावा दायर कर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर सकता था और इसे स्वीकार न करके न्यायाधिकरण ने उनके दावे के आवेदन को खारिज करते हुए त्रुटि की है। इसलिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में उचित क्षतिपूर्ति देकर अपील की अनुमति देने की प्रार्थना की। अपने तर्क के समर्थन में, **उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चामुंडेश्वरी एवं अन्य (2021) 18 एससीसी 596 और पवन कुमार एवं अन्य बनाम मेसर्स हरकिशन दास मोहन लाल एवं अन्य, 2014 (2) सीजीएलजे 29 (एससी) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उत्तरवादी संख्या 1 और 2 की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

9. उत्तरवादी संख्या 3/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश न्यायसंगत और उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दावेदार यह साबित करने में विफल रहे हैं कि विचाराधीन वाहन का चालक रमेश साहू था।वे यह साबित करने में भी विफल रहे हैं कि दुर्घटना, आक्षेपित वाहन के चालक द्वारा तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई।यदि रमेश को प्रश्नगत वाहन का चालक पाया जाता है, तो यह तर्क दिया गया है कि रमेश के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए बीमा शर्तों का उल्लंघन किया गया है और बीमा कंपनी किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इस अपील में उठाए गए तर्क स्वीकार्य नहीं हैं।इसलिए, अपील को खारिज किया जाना चाहिए।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का बारीकी से अवलोकन किया गया।

11. विचारणीय पहला प्रश्न यह है कि क्या दुर्घटना करने वाले वाहन का चालक उत्तरवादी क्रमांक 1 रमेश साहू था?

12. दावा आवेदन की तर्क की पुष्टि करते हुए श्रीमती झरियारिन (AW–1) पत्नी मृतक जीवराखन ने कहा है कि दुर्घटना करने वाले वाहन का चालक रमेश साहू उसका पड़ोसी था। यद्यपि श्रीमती झरियारिन मौके पर मौजूद साक्षी नहीं है, फिर भी उसने अपने बयान में यही कहा है कि दुर्घटना के समय दुर्घटना करने वाले वाहन का चालक रमेश साहू था। घटनास्थल निवासी साक्षी के रूप में चैतूराम निषाद (AW–2) निवासी भाटापारा, बंजारी ने कहा है कि उसने दुर्घटना देखी थी। चैतूराम निषाद के अनुसार वह कुरुद के सिद्धि गणेश राइस मिल में कुली का काम करता था।घटना दिनांक को वह शाम को काम से छुट्टी होने के बाद साइकिल से कुरुद से अपने गांव भाटापारा जा रहा था, तभी रात करीब 8.20 बजे छत्तीसगढ़ ढाबा के पास ट्रक और ट्रक के बीच एक्सीडेंट हो गया। ट्रक रायपुर की ओर साइड में खड़ा था, जबकि ट्रक को रमेश साहू चला रहा था। महिंद्रा ट्रैवल्स की बस रायपुर से धमतरी की ओर आ रही थी।ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में जब रमेश साहू ने सामने से तेज गति से आ रही बस को देखा तो उसने वाहन को साइड में कर दिया जिससे वह खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गया और वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर ट्रक में फंस गया। वाहन में फंसे जीवराखन निषाद और चालक रमेश साहू को पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरूद भेजा गया जहां उपचार के दौरान जीवराखन की मौत हो गई। प्रतिपरीक्षा में यह गवाह खड़े ट्रक का नंबर नहीं बता पाया है। परंतु वह अपने बयान में एकमत और अडिग रहा। उन्होंने उत्तरवादी के इस सुझाव का खंडन किया है कि दुर्घटना के समय आक्षेपित वाहन को राजेश नामक व्यक्ति चला रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. दावेदार पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खंडन में, उत्तरवादी पक्ष से केवल रमेश साहू (उत्तरवादी संख्या 1) की परीक्षा की गई है।उनके अनुसार, वे दुर्घटना में घायल हो गए थे, लेकिन दुर्घटना के समय, वे आक्षेपित वाहन नहीं चला रहे थे, बल्कि राजेश नामक व्यक्ति उसे चला रहा था।हालांकि, उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि टक्कर एक ट्रक और आक्षेपित वाहन के बीच हुई थी, जिसमें सिर में चोट लगने के कारण वे बेहोश हो गए थे।

14. दावेदार पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, जिसमें जीवराखन की मृत्यु पर दर्ज मर्ग सूचना (प्र.पी–6), शव की जांच रिपोर्ट प्र.पी–7, पोस्टमार्टम हेतु आवेदन प्र.पी–8, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी–2, घटनास्थल नक्शा प्र.पी–3, घटनास्थल से टाटा मैजिक की जब्ती प्र.पी–4 तथा रमेश साहू से जब्ती प्र.पी–5 तथा थाना कुरूद प्र.पी–1 की क्लोजर डायरी शामिल है, से यह स्पष्ट होता है कि रमेश साहू के भाई संजय कुमार साहू की सूचना पर उसी दिन रात्रि करीब 9:35 बजे अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी–2) दर्ज की गई थी। ट्रक का पता नहीं चल पाने के कारण पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट प्र.पी–1 जारी किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी–2 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपराधी वाहन को प्रतिवादी क्रमांक 1 रमेश साहू चला रहा था।यह भी स्पष्ट है कि संजय कुमार 8 यह भी स्पष्ट है कि संजय कुमार साहू दुर्घटना की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे और देखा कि उनके भाई रमेश साहू (प्रतिवादी क्रमांक 1) का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हालत में खड़ा था, जिसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त था। जीवराखन और उसका भाई रमेश साहू

दुर्घटनाग्रस्त वाहन में फंसे हुए थे, जिन्हें अन्य लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से कुरुद अस्पताल पहुंचाया गया। उन्हें सूचना मिली थी कि रायपुर की ओर जा रहे एक अज्ञात ट्रक का चालक तेज गति व लापरवाही से वाहन चला रहा था। उक्त ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगाया तो पीछे से आ रहा दुर्घटनाग्रस्त वाहन ट्रक के पिछले हिस्से से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।जब्ती प्र. पी–4 से पता चलता है कि घटनास्थल से क्षतिग्रस्त हालत में आक्षेपित वाहन जब्त किया गया था। जब्ती प्र. पी–5 से पता चलता है कि आक्षेपित वाहन की आरसी बुक, अन्य दस्तावेज और राजेश का ड्राइविंग लाइसेंस उत्तरवादी क्रमांक 1 रमेश साहू से जब्त किया गया था। लेकिन इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि रमेश साहू से किसी अन्य व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जब्त किया गया। केवल ड्राइविंग लाइसेंस की जब्ती के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि दुर्घटना के समय आक्षेपित वाहन राजेश ही चला रहा था।

15. मौके पर उपस्थित साक्षी चैतूराम निषाद के कथन तथा दुर्घटना के तुरन्त बाद दर्ज एफआईआर (एक्स.पी–2) से स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय उत्तरवादी क्रमांक 1 रमेश साहू ही आक्षेपित वाहन चला रहा था। यदि उक्त राजेश अपराधी वाहन चलाता तो वह अवश्य ही घायल होता, किन्तु राजेश नामक किसी व्यक्ति के घायल होने की रिपोर्ट नहीं दी गई है तथा न ही इस संबंध में कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः रमेश साहू का यह कथन तथा दलील कि दुर्घटना के समय आक्षेपित वाहन राजेश चला रहा था, विश्वसनीय नहीं पाया जाता है।साक्षी चैतूराम निषाद के निर्विवाद बयान और दुर्घटना के तुरंत बाद रमेश के भाई संजय कुमार साहू द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर (एक्स.पी–2) से यह तथ्य स्थापित होता है कि दुर्घटना के समय रमेश ही वाहन चला रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. जहां तक तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षदर्शी चैतूराम निषाद (एडब्ल्यू–2) ने अपने कथन में एकरूपता एवं असंदिग्धता दिखाई है। उसके बयान की पुष्टि स्वयं आक्षेपित वाहन के चालक रमेश साहू ने भी की है, जिसने भी स्वीकार किया है कि अज्ञात ट्रक एवं उसके वाहन के मध्य टक्कर होने के कारण दुर्घटना घटित हुई है। चैतूराम निषाद ने भी अपने बयान में एकरूपता दिखाई है कि ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक रमेश साहू ने सामने से तेज गति से आ रही महिन्द्रा ट्रेवल्स बस से बचने के लिए वाहन को साइड में ले लिया, जिसके कारण आगे जा रहे ट्रक से पीछे से टक्कर हो गई।इस प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी चैतूराम निषाद के अनुसार, दुर्घटना करने वाले वाहन चालक रमेश साहू की लापरवाही और तेज गति के कारण हुई तथा इस साक्षी के बयान का खंडन नहीं किया गया।यह तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स. पी–2) से भी स्पष्ट है कि आक्षेपित वाहन ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी थी।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चामुंडेश्वरी एवं अन्य (2021) 18 एससीसी 596** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि न्यायालय के समक्ष जांचे गए चश्मदीद गवाहों के बयानों का घटनास्थल पर मौजूद अन्य गवाहों द्वारा खंडन/खण्डन नहीं किया जाता है, तो उन्हें प्रथम

सूचना रिपोर्ट के आधार पर खंडन/खण्डन नहीं माना जा सकता है। उक्त निर्णय के कंडिका–8 में निम्न प्रकार से कहा गया है:–––

"8. पी.डब्लू.–1 तथा पी.डब्लू.–3 के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कार के आगे चल रही आयशर वैन ने बिना कोई संकेत या इंडिकेटर दिए अचानक दाहिनी ओर मोड़ लिया।पी.डब्लू.–1 और पी.डब्लू.–3 के साक्ष्य स्पष्ट हैं और आयशर वैन के चालक की जांच करके किसी खंडनात्मक साक्ष्य के अभाव में, उच्च न्यायालय ने सही माना है कि दुर्घटना केवल आयशर वैन के चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू–1 ने स्वयं उसी कार में यात्रा की थी और पीडब्लू–3, जिसने पुलिस के समक्ष बयान दिया है, से प्रत्यक्षदर्शी के रूप में परीक्षण किया गया था । अभिलेख पर मौजूद ऐसे साक्ष्यों को देखते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय–वस्तु को महत्व देने का कोई कारण नहीं है। यदि न्यायाधिकरण के समक्ष कोई साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय–वस्तु के विपरीत है, तो न्यायाधिकरण के समक्ष दर्ज साक्ष्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय–वस्तु पर महत्व दिया जाना चाहिए।"

18. प्रस्तुत प्रकरण में समस्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना, आक्षेपित वाहन के किसी अज्ञात ट्रक के पिछले भाग से टकराने के फलस्वरूप घटित हुई। प्रत्यक्षदर्शी चैतूराम निषाद ने अपने कथन में एकरूपता एवं निर्विवाद रूप से कहा है कि दुर्घटना, आक्षेपित वाहन के चालक रमेश साहू की लापरवाही एवं उतावलेपन के कारण घटित हुई। उपरोक्त परिस्थिति में जब रमेश साहू का कथन विश्वसनीय नहीं है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–2) में वर्णित तथ्य चैतूराम के कथन का खंडन/खण्डन नहीं करता कि दुर्घटना, ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण घटित हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह सिद्ध पाया गया कि जीवराखन की मृत्यु दुर्घटना में गंभीर चोटों के कारण हुई, जो उत्तरवादी क्रमांक 1 रमेश साहू द्वारा आक्षेपित वाहन को तेज गति से लापरवाही से चलाने के परिणामस्वरूप हुई।अतः इस संबंध में न्यायाधिकरण का निष्कर्ष सही नहीं पाया गया तथा उक्त निष्कर्ष कायम रखने योग्य नहीं है।

20. दूसरे प्रश्न में न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि बीमा कंपनी द्वारा किसी साक्ष्य के अभाव में वह यह साबित करने में विफल रहा है कि आक्षेपित वाहन को चलाने में किसी बीमा शर्त का उल्लंघन किया गया है।इस संदर्भ में साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी संख्या 3 बीमा कंपनी ही आक्षेपित वाहन की बीमाकर्ता है। यह सिद्ध हो चुका है कि उक्त वाहन का चालक रमेश साहू (उत्तरवादी संख्या 1) था।इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि आक्षेपित वाहन चलाते समय पंजीकरण की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है। इस बात के भी स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं कि विचाराधीन वाहन बिना परमिट और फिटनेस के चलाया जा रहा था, क्योंकि जब्ती प्र.पी–5 में वाहन की फिटनेस जब्ती दर्शाई गई है। यह कहा जाता है कि राजेश का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया है।लेकिन साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया है कि दुर्घटना के समय वाहन का चालक राजेश नहीं बल्कि रमेश साहू (आर–1) था।

रमेश साहू से भी न्यायालय में परीक्षा की गई।उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया है।प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।ऐसी स्थिति में जबकि प्रश्नगत वाहन बीमाकृत था तथा उक्त वाहन का चालक रमेश साहू था, जिसके पास वैध लाइसेंस नहीं था, बीमा कम्पनी का कथन एवं तर्क प्रमाणित पाया जाता है कि वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव में वाहन चलाकर बीमा शर्तों का उल्लंघन किया गया है।अतः प्रश्न क्रमांक 2 पर अधिकरण द्वारा दिया गया निष्कर्ष सही नहीं पाया जाता है।

21. उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर, आरोपित आदेश संधारणीय नहीं पाया गया तथा इसे अपास्त किया जाता है।

22. मात्रा के संबंध में, दावेदार पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक जीवराखन की आयु 40 वर्ष थी।कुल 5 दावेदार हैं जो मृतक की पत्नी, बच्चे तथा पिता हैं।मृतक जीवराखन कृषि मजदूर बताया गया है तथा उसकी दैनिक आय 200/– रुपये थी, अर्थात मासिक आय 6,000/– रुपये थी।

23. यद्यपि यह दावा किया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक मजदूरी तथा कृषि कार्य से 6,000 रुपये प्रतिमाह कमा रहा था, परन्तु उसकी आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है। दुर्घटना 29.04.2015 को घटित हुई थी और उस समय अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 5787 रुपये थी।इस प्रकार, मृतक की आय उस समय न्यूनतम मजदूरी के रूप में 5787 रुपये प्रति माह यानी 69,444 रुपये प्रतिवर्ष आंकी गई।नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बनाम प्रणय सेठी और अन्य, (2017) 16 एससीसी 680 के अनुसार, भविष्य की संभावनाएँ आय का 25% होंगी। भविष्य की संभावनाओं के लिए 25% अर्थात 17,361 रुपये जोड़ने के बाद, राशि 86,805 रुपये आती है। कुल पाँच दावेदार हैं, इसलिए आय का 1/4 हिस्सा अर्थात व्यक्तिगत खर्चों के लिए 21701 रुपये यानी 21701.25 रुपये घटाने के बाद, राशि 65,104 रुपये आती है।

24. **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य (2009) 6 एससीसी 121, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (2017) 16 एससीसी 680 और मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @ चुहरू राम एवं अन्य (2018) 18 एससीसी 130** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में क्षतिपूर्ति की गणना निम्नानुसार की जा रही है:–––

सरल क्र	**विवरण**	**गणना**
1	मृतक की मासिक आय	5787
2.	वार्षिक आय	69444
3	भविष्य की संभावनाएं (आने वाले समय का 25 प्रतिशत)	17361

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4	कुल	86805
5	व्यक्तिगत खर्च (आय का एक चौथाई)	21701.25 कुल रु. 21701/-
6	निर्भरता का नुकसान	65104
7	निर्भरता का कुल नुकसान (15 का गुणक लागू)	65104 x 15 = 976560
8	अंतिम संस्कार का खर्च	15000
9	संपत्ति का नुकसान	15000
	10. पति-पत्नी का संघ तथा प्यार तथा स्नेह (प्रत्येक दावेदार को रु.40,000)	40000 x 5 = 200000
	कुल क्षतिपूर्ति :	रु.12,06,560/-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. जहां तक उपरोक्त क्षतिपूर्ति के लिए देयता का प्रश्न है, साक्ष्य के विश्लेषण से यह पाया गया है कि दुर्घटना दो वाहनों के बीच टक्कर के कारण हुई थी।एक वाहन अज्ञात ट्रक था, इसलिए पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।दूसरा वाहन आक्षेपित वाहन था जिसमें मृतक जीवराखन स्वयं सवार था। ।उत्तरवादी संख्या 1, 2 और 3 क्रमशः अपराधी वाहन के चालक, पंजीकृत मालिक और बीमाकर्ता पाए गए हैंयह साबित हो चुका है कि दुर्घटना उत्तरवादी क्रमांक 1 रमेश साहू द्वारा वाहन को तेज गति और लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी, इसलिए बीमा शर्तों का उल्लंघन पाया गया है।

26. इस स्तर पर, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने भुगतान और वसूली के आदेश का अनुरोध किया, जिसका बीमा कंपनी द्वारा विरोध किया गया।

27. यह स्वीकार किया जाता है कि, बीमा कंपनी द्वारा वाहन का विधिवत बीमा कराया गया था, लेकिन पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन के कारण बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया गया है।हालाँकि,माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमृत पॉल सिंह एवं अन्य बनाम टाटा **एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (2018) 7 एससीसी 558** के मामले में बीमा कंपनी को पहले भुगतान करने और फिर वसूली करने का आदेश देकर 'भुगतान करें और वसूली करें' का सिद्धांत निर्धारित किया है।

28. तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि आक्षेपित वाहन की बीमा कंपनी पहले दावेदारों को दिए गए क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी और फिर उसे संयुक्त रूप से या अलग-अलग वाहन के चालक और पंजीकृत मालिक से वसूल करेगी।

29. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।दिनांक 24.12.2016 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि दावेदार दावा आवेदन दाखिल करने की तिथि से इसकी वसूली तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 12,06,560/– रुपये के क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे।न्यायाधिकरण विधि/नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि के आवंटन, निवेश और संवितरण के संबंध में आदेश पारित करेगा।

30. न्यायाधिकरण के अभिलेखों के साथ इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरंत वापस भेजी जाए।

31. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इस अपील में दिए गए "क्षतिपूर्ति की राशि" के बारे में लिखित रूप में दावेदारों को सूचित करे।उक्त संचार हिंदी (देवनागरी) भाषा में किया जाना चाहिए और संबंधित क्षेत्र के विधिक सहायता सचिव के समन्वय से अर्धन्यायिक कार्यकर्ताओं की सहायता ली जा सकती है, जहां दावेदार रहते हैं।

सही/–

(संजय कुमार जयस्वाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur